किशन बनाम राजस्थान सरकार

ना पत्र संख्या 273/2024

ांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
09.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि ग्राम खटवाडा में खसरा नम्बर 1364/1278, 1299/332, 1279/333, 333, 1363/1278 की रिकार्ड ऑनलाईन होने पर तरमीम सहवन से गलत दर्ज हो गई है। रिकार्ड ऑनलाईन से पूर्व का उपरोक्त खसरा नम्बरान् का नक्शा ट्रेस संलग्न है। पुराने एवं वर्तमान नक्शे में तरमीम लाईन में अन्तर आ रहा है जिससे रकबा भी जमाबन्दी से मिलान नही हो रहा है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि ग्राम खटवाडा खसरा नम्बर 1364/1278, 1299/332, 1279/333, 333, 1363/1278 की पूर्व सत्यप्रतिलिपी नक्शे के अनुसार वर्तमान ऑनलाईन नक्शे में दुरूस्ती आदेश फरमाने की कृपा करे। बहस प्रार्थी एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी की वाके ग्राम खटवाडा खसरा नम्बर 1364/1278, 1299/332, 1279/333, 333, 1363/1278 ऑनलाईन तरमीम से पूर्व की तरमीम अनुसार शुद्ध करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 05.09.2024 को सुनाया गया। (हिम्मत सिंह) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी जयपुर-द्वितीय (साँगानेर), जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 14:13:42 IST
Reason: SelfAttested